न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामसर

पीठासीन अधिकारी :– श्री राम लाल मीणा आर.ए.एस..

राजस्व आवेदन संख्या – 259 / 2025

उनवान

प्रार्थी

1. सालुराम माकड पुत्र श्री केशराराम जाति–जाट, निवासी रामसर, तहसील रामसर, जिला बाडमेर

विप्रार्थीगण

1. जूंझाराम पुत्र श्री हेमाराम
2. देमीदेवी पत्नी श्री अखाराम
3. नारणाराम पुत्र जैसा
4. पदमाराम पुत्र श्री अखाराम
5. पप्पूदेवी पत्नी हेमाराम
6. बाबू पुत्र समरथा
7. मगा पुत्र समरथा
8. मगी देवी पत्नी जैसा
9. माधाराम पुत्र जैसा
10. सोनाराम पुत्र श्री जैसा
11. हनुमानराम पुत्र श्री अखाराम जाति– जाट निवासी बबूगुलेरिया, जिला बाडमेर।
12. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार रामसर जिला बाडमेर।

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 वास्ते नेखमबंदी

दिनांक :–30.04.2026

प्रार्थी वकील श्री सीआर चौधरी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत न्यायालय में दिनांक 19.11.2025 को प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मौजा पाबूसरिया पटवार मण्डल कंटल का पार, भूअनि गागरिया के खसरा संख्य 188 / 33 रकबा 11.9949 हेक्टयर, उनके खाते की कृषि भूमि अवस्थित है। उक्त वादग्रस्त भूमि के विप्रार्थीगण पड़ोसी खातेदार है। प्रार्थी व विप्रार्थीगण के मध्य आराजियात के सीमा चिह्न नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है जिससे कि प्रार्थी अपने खेत की पक्की नेखमबंदी कराना चाहते है। आवेदन स्वीकार किया जाकर नेखमबंदी का आदेश प्रदान किया जावे।

प्रकरण के अवलोकन में यह तथ्य प्रमाणित है कि विवादित आराजी प्रार्थी की खातेदारी कृषि भूमि है और इस प्रकार न्यायिक दृष्टि से एक खातेदार अपने खेत की कृषि भूमि की नेखमबंदी करवाने का हकदार है। विप्राथीगण को नोटिस रजिस्टर्ड डाक से जारी होने के बावजूद बाद तामिल विप्रार्थी संख्या 1 से 02,5 8 से 9, अनुपस्थित होने से उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गयी। विप्रार्थी संख्या 03,04,06,07,10,11 के द्वारा विप्रार्थी वकील द्वारा बावजूद पर्याप्त अवसर दिये जानें के बाद भी जवाब प्रस्तुत नही करनें से जवाब अवसर बंद किया जाता हैं। एंव विप्रार्थी संख्या 12 भूमिधारी होनें से औपचारिक रूप से संयोजित किया गया। बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन प्रार्थी का प्रार्थना पत्र न्यायाहित में स्वीकार योग्य प्रतीत होता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र विरूद्ध विप्रार्थीगण स्वीकार किया जाकर मौजा पाबूसरिया पटवार मण्डल कंटल का पार, भूअनि गागरिया के खसरा संख्य 188 / 33 रकबा 11.9949 हेक्टयर, भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करने हेतु तहसीलदार रामसर को 1000 /– अक्षरे रूपये एक हजार रूपये मात्र पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। तहसीलदार रामसर को निर्देश दिये जाते है कि वे उपरोक्त आराजियात में किसी न्यायालय का स्थगन एवं मौके पर फसल खड़ी होने की स्थिति में नेखमबंदी की कार्यवाही नहीं की जावे। राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जारी परिपत्रों / अधिसूचनाओं में दिये गये दिशा–निर्देशों की पूर्ण पालना करते हुए, मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर नेखमबंदी की कार्यवाही की जावे तथा उक्त प्रकरण में दर्ज सभी प्रार्थी एवं विप्रार्थीगण को लिखित सूचना पत्र से समय एवं तिथि बाबत सूचित करते हुए उनकी उपस्थिति में उक्त खसरें के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करवाये जावें। कमिश्नर शुल्क प्रार्थी मौके पर अदा करेगा। आवश्यकतानुसार तहसीलदार रामसर को संबंधित पुलिस थाने से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है।

उपरोक्तानुसार नेखमबंदी की समयबद्ध पालना की जाकर पालना रिपोर्ट से अवगत करावें।

यह आदेश आज दिनांक 30.04.2026 को हस्ताक्षर और मुहर लगाकर जारी किया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ram Lal Meena
Date: 2026.05.21 16:40:57 IST
Reason: SelfAttested

(राम लाल मीणा)
उपखण्ड अधिकारी रामसर

उपखण्ड अधिकारी रामसर

Scanned with OKEN Scanner